इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 8 मार्च, 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

अंतरिम केन्द्रीय बजट प्रस्ताव----------1
मुख्य घटनाएं / बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन---------- ----------4
विदेशी मुद्रा / अर्थव्यवस्था ---------- 5
नयी नियुक्तिया / ग्रामीण बैंकिंग ----------5
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 6
बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------- -------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

अंतरिम केन्द्रीय बजट प्रस्ताव 2014-15

- 2014-15 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने हेतु 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में उद्यमों को सहायता प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रतिलाभ वाले आधारभूत नवोन्मेषनों को बढ़ावा देने के लिए भारत समावेशी नवोन्मेषन निधि (India inclusive Innovation Fund) सृजित करेगा। उक्त निधि की मूल पूजी में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान का प्रस्ताव है।
- 2014-15 के लिए 8,00,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य। 2014-15 में कृषि ऋणों के सम्बन्ध में ब्याजगत सरकारी अनुदान (2 प्रतिशत का सरकारी अनुदान तथा त्वरित अदायगी के लिए 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन) योजना का जारी रखा जाना।
- 31/03/2009 तक लिये गए तथा 31/03/2013 के दिन बकाया सभी शिक्षा ऋणों के लिए अधिस्थगन अवधि। 31/03/2013 के दिन बकाये के लिए जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली जाएगी।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं अधिकाधिक सहक्रिया के लिए 66 कार्यक्रमों में पुनर्संरचित की जाएंगी।
- एक ऐसी गैर-सांविधिक लोक ऋण प्रबन्धन एजेन्सी (PDMA) की स्थापना जो 2014-15 में कार्य आरंभ कर सके।
- पण्य व्युत्पन्नी (Commodity derivatives) बाज़ार के विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम का संशोधन।
- भारतीय वित्तीय बाज़ारों को गहन बनाने हेतु परिकल्पित उपाय : अमरीकी निक्षेपागार रसीद / वैश्विक निक्षेपागार रसीद को व्यापक रूप से पुनर्संरचित करना तथा निक्षेपागार रसीदों के दायरे को व्यापक बनाना, रुपये में मूल्यवर्गित कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार को उदार बनाना, भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा जोखिमों के समक्ष पूर्णत: प्रतिरक्षण करने में समर्थ बनाने हेतु मुद्रा व्युत्पन्नी बाज़ार को गहन एवं सुदृढ़ करना, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में सभी वित्तीय आस्तियों का एक रिकार्ड सृजित करना और भारतीय बॉण्डों में निवेश करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सरल समाशोधन एवं निपटान करने में समर्थ बनाना।

- 2014-15 में राजकोषीय घाटे के 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुख्य घटनाएं

डेबिट कार्ड प्राप्त करने हेतु "आधार" दिखाएं

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तात्कालिक रूप से एक डेबिट कार्ड प्राप्त करने हेतु अपनी आधार संख्या के साथ केवल किसी किराना भण्डार में पहुंचने की जरूरत रह जाएगी। सरल मुद्रा के नाम से प्रारंभिक तौर पर हाल ही में नई दिल्ली में लागू की गई इस योजना का उपयोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता कारबार संपर्कियों (BCs) और किराना भण्डारों को वित्तीय समावेशन हेतु आधार डाटाबेस का उपयोग करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से करना चाहते हैं। इस प्रकार के कार्ड वाले लोगों को सरकार उस व्यक्ति के पास कोई बैंक खाता न होने के बावजूद धन भेजने में समर्थ होगी। इसे दो तरीकों से लागू किया जाएगा - कारबार संपर्कियों के परिवारों के पास जाने तथा विविध किराना भण्डारों में स्थापित बिक्री केन्द्रं (PoS) टर्मिनलों के माध्यम से। डॉ. नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाले एक पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी, 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अभिगम केन्द्रों की संख्या एवं वितरण इतने हो जाएंगे कि प्रत्येक निवासी देश के किसी भी भाग में स्थित ऐसे केन्द्र से 15 मिनट पैदल की दूरी पर रह जाएगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 10 बिलियन अमरीकी डालर की गई

सरकारी बॉण्डों में और अधिक दीर्घावधिक डालरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों (यथा- सॉवरेन संपदा निधियों, पेंशन निधियों और विदेशी केन्द्रीय बैंकों) की निवेश सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया है। इस वृद्धि से अल्पावधिक निवेश के लिए उपलब्ध ऋण पूर्ववर्ती 25 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर 20 बिलियन अमरीकी डालर रह जाएगा। हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की सरकारी बॉण्डों में समग्र निवेश सीमा 30 बिलियन अमरीकी डालर रखी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात-आयात हेतु अन्य पक्ष को भुगतान से सम्बन्धित मानदंड सरल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माल के आयात हेतु अन्य पक्ष को भगुतान से सम्बन्धित मानदंडों को 100,000 अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा को हटाकर उदारीकृत कर दिया है। इसके पहले अन्य पक्ष को भुगतान हेतु किसी आयात लेनदेन की रकम 100,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं हो सकती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात और आयात लेनदेनों के लिए अन्य पक्ष को भुगतानों से से सम्बन्धित

कुछेक प्रलेखन मानदंडों को भी सरलीकृत कर दिया है।

न्यूनतम शेष का गैर-अनुरक्षण प्रभार्य नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से साधारण बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष न रखे जाने पर जुरमाने की वसूली रोक देने के लिए कहा है। बैंकिंग लोकपाल योजना की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि "इसके बजाय वे इस प्रकार के खातों को मूलभूत बचत बैंक खातों में परिवर्तित करने पर विचार कर सकते हैं।" इसके अतिरिक्त ग्राहक संरक्षण में सुधार लाने के लिए बैंकों और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा बैंकों के स्वयं अपने एटीएमों पर ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों पर प्रस्तावित शुल्क के "औचित्य" पर पुनर्विचार किया जाएगा।

मार्च, 2009 के पहले वाले शिक्षा ऋणों पर ब्याज माफ

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2014-15 के अपने अंतरिम बजट भाषण में 31 मार्च, 2009 से पहले लिये गए शिक्षा ऋणों के लिए ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन की घोषणा की है। 31 दिसम्बर, 2013 के दिन 2,600 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। हालांकि, उधारकर्ता को जनवरी, 2014 के बाद वाले ब्याज का भुगतान करना होगा। इस सुविधा के कारण लगभग 9 लाख छात्र उधारकर्ता लाभान्वित होंगे। दिसम्बर 2013 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास 57,700 करोड़ रुपये की बकाया रकम सहित 25,70,254 छात्र ऋण खाते थे।

समूह कम्पनियों / संस्थाओं के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वयं उनके समूह की कम्पनियों / संस्थाओं के साथ लेनदेनों एवं उनके प्रति बैंकों के ऋण जोखिमों के लिए अनन्य रूप से उद्दिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अंत: समूह वित्तीय लेनदेनों एवं ऋण जोखिमों (ITEs) के सम्बन्ध में मात्रात्मक सीमाओं तथा गैर-वित्तीय अंत: समूह वित्तीय लेनदेनों एवं ऋण जोखिमों (ITEs) के लिए विवेकसंमत उपायों का समावेश है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि बैंक अंत: समूह वित्तीय लेनदेनों एवं ऋण जोखिमों (एक्सपोजरों) में सुरक्षित रीति से संलग्न हों, ताकि अंत: समूह वित्तीय लेनदेनों एवं ऋण जोखिमों (ITEs) से पैदा होने वाले संकेन्द्रण एवं संसर्गजन्य जोखिमों को रोका जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित अंत: समूह ऋण जोखिम सीमाओं का पालन करना चाहिए :

एकल समूह कम्पनी / संस्था के प्रति ऋण जोखिम के मामले में

- गैर-वित्तीय कम्पनियों और अविनियमित वित्तीय सेवा कम्पनियों के मामले में चुकता पूंजी एवं आरक्षित निधियों का 5%

- विनियमित वित्तीय सेवा कम्पनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%

समग्र समूह ऋण जोखिम के मामले में

- सभी गैर-वित्तीय कम्पनियों और अविनियमित वित्तीय सेवा कम्पनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%
- समूह अर्थात् सभी समूह की सभी संस्थाओं / कम्पनियों (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय को एक साथ मिला कर) चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 20%
- बैंक एनओएफएचसी (NOEHC) के तहत किसी भी वित्तीय कम्पनी / संस्था के इक्विटी / ऋण पूंजीगत लिखत में निवेश नहीं कर सकते
- बैंक एनओएफएचसी (NOFHC) के सम्बन्ध में कोई ऋण अथवा निवेश जोखिम नहीं वहन कर सकते
- वे समूह की संस्थाओं/ कम्पनियों / प्रवर्तक समूह से जुड़े व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई ऋण अथवा निवेश जोखिम नहीं वहन कर सकते
- बैंकों को अंत: समूह चलनिधि सहायता के सम्बन्ध में आंतरिक सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए
- उन्हें समूह की कम्पनियों के उत्पादों की प्रति-बिक्री करते समय पारदर्शिता आवश्यक रूप से बनाए रखनी चाहिए।

संकटग्रस्त आस्तियों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं के संयुक्त मंच गठित करने और संकटग्रस्त आस्तियों के लिए सुधारात्मक कार्य योजना अपनाने हेतु नियम अधिसूचित कर दिए हैं। उसने परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने तथा अनर्जक आस्तियों (NPAs) को बेचने के लिए कुछेक शर्तें भी लागू कर दी हैं। अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने की रूपरेखा के नाम वाले ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2014 से लागू हो जाएंगे। इनमें त्वरित प्रावधानीकरण जैसे उन उपायों को शामिल किया गया है, जिनमें बैंकों द्वारा विशिष्ट खातों की वास्तविक स्थिति को छिपाए जाने पर उन खातों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित त्वरित प्रावधानीकरण का उपाय लागू होगा। 2002 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष उल्लेख्य खातों (SPAs) वाला उपाय लागू किया था। किसी ऋण खाते के अनर्जक आस्ति बनने से पहले बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विशेष उल्लेख्य खातों के तहत तीन उप-श्रेणियां सृजित करते हुए खाते पर पड़ने वाले दबाव की पहचान करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके पास कुल 50 मिलियन रुपये या उससे अधिक के निधि-आधारित एवं गैर-निधि-आधारित ऋण जोखिम (एक्सपोजर) रखने वाले उधारकर्ताओं के किसी खाते के विशेष उल्लेख्य खाते के रूप में वर्गीकरण सहित ऋृण से सम्बन्धित सूचना को बड़े ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना संग्राहक (CRIL) को रिपोर्ट करें।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंक, नकदी प्रबन्धन फर्में एटीएम सुरक्षा पर बात करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकों को निदेश को ध्यान में रखते हुए भारतीय बैंक संघ (IBA) ने नकदी प्रबन्धन सेवाओं के लिए बाह्य स्रोत के उपयोग से जुड़े महत्वपर्ण मुद्दों पर बातचीत करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। उक्त निर्देश नकदी वाहनों की लूट, ऐसे कार्यकलापों को रोकने जैसे बढ़ते जोखिमों के अनुसरण में जारी किया गया है। भारतीय बैंक संघ के उप मुख्य कार्यपालक श्री के. उन्नीकृष्णन की अध्यक्षता वाले कार्य दल में भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एटीएमों के पूरे देश में तीव्र गति से विस्तारित होने के परिणामस्वरूप नकदी प्रबन्धन सेवा कम्पनियों को सशस्त्र सुरक्षा प्रहरियों, जिनका नकदी वाहनों में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है, की कमी के कारण मांग को पूरा करने में कठिनाई महसूस हो रही है।

बैंक खाते के बिना एटीएम लेनदेन

वित्तीय समावेशन की दिशा में एक अन्य प्रयास के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक खाता धारकों से बिना खाता वाले व्यक्तियों को स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) के माध्यम से निधि अंतरणों को सुगम बनाने के लिए एक नयी भुगतान प्रणाली स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इन भुगतानों की एक मध्यवर्ती संस्था छानबीन करेगी और अपने मोबाइल पर प्राप्तकर्ताओं को एक कूट प्रेषित करेगी। उक्त कूट प्राप्तकर्ता को किसी भी निकटवर्ती एटीएम से धन आहरित करने की अनुमति प्रदान करेगा। मोबाइल बैंकिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक की एक तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण एवं अधिप्रमाणन हेतु एक मानकीकृत कार्यविधि की सिफारिश की गई है। उक्त समिति ने सभी बैंकों में एक ऐसे सामान्य अनुप्रयोग प्लेटफार्म के अंगीकरण की सिफारिश की है, जो किसी भी हैंडसेट पर कार्य कर सकता है।

बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बाज़ार मूल्य से कम पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण नहीं ले सकते

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण खरीदते समय बाज़ार मूल्य से कमतर कीमत नहीं प्राप्त हो सकती। वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस प्रकार के मूल्य-निर्धारण पर गहन निगरानी रखे हुए हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने नाबार्ड से भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से प्राथमिकताप्राप्त पोर्टफोलियो को बाज़ार प्रेरित कीमतों पर बेचने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए कहा है। वित्त वर्ष की समाप्ति के दौरान बैंक विशिष्ट रूप से उनके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों में रह गई कमी को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी संस्थाओं से अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्रों (IBPCs) के जरिये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण खरीदते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि

बैंक उनके कुल ऋणों का 40% कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिक्षा तथा वहनीय आवास जैसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार दें। हालांकि, ऐसे बैंक जो इस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इसे बाज़ार से खरीद लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में पिछले तीन वर्षों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण 60% के लक्ष्यांकित स्तर के समक्ष 80% से अधिक रहे हैं। अतएव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने अतिरिक्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों को उनकी तलाश में बैठे बैंकों को बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

विन एक्सपी के बारे में बैंकों को भारतीय बैंक संघ की सलाह

भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह दी है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 8 अप्रैल, 2014 को उसकी लोकप्रिय विन्डोज एक्सपी प्रचालन प्रणाली के लिए सहायता समाप्त कर दिए जाने के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता जारी रहे। विन्डोज एक्सपी से माइक्रोसॉफ्ट के विलगाव के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नैंकों की 34,000 से अधिक शाखाएं सुभेद्य हो जाएंगी।

कठोर कार्रवाइयों के फलस्वरूप बैंक वसूलियों में सुधार

उस कठोर स्थूल-आर्थिक वातावरण में, जिसने आस्तियों की गुणवत्ता पर दबाव बनाए रखा है, बैंक जितनी भी संभव हो उतनी वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। सितम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने मूलत: अशोध्य ऋणों की आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) को बिक्री के माध्यम से धनराशि वसूल किया है। विशेषज्ञ भी यह महसूस करते हैं कि बैंक उस सम्पत्ति अथवा मशीनरी के रूप में अच्छी तरह संपार्श्विकीकृत किए जा रहे हैं, जो उधारकर्ताओं को चूक करने के बजाय उनकी देय राशियों का निपटान करने पर विवश करती हैं। हालांकि, अधिकांश बैंक अब भी उस आस्ति की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं, जिसके लिए उन्हें और अधिक ऋणों को पुनर्संरचित करना पड़ सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का पैनल वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से सम्बन्धित सिफारिशों की पुन: जांच करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता-निर्माण से सम्बन्धित सिफारिशों के पुनर्परीक्षण हेतु एक समिति का गठन करेगा। यह पैनल इस बात की पुन: □□करेगा कि क्या बैंकों के निदेशक मण्डलों में शामिल सदस्यों को एक उपयुक्त रूप से तैयार किये गये ऐसे पाठ्यक्रम द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा, जो निदेशक मण्डल में नियुक्ति के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. गोपालकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और उसे कैसा परिणाम देना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए क्षमता-निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करेगी। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) ने नौ क्षेत्रों, यथा - उपभोक्ता संरक्षण, सूक्ष्म विवेकसंमत विनियमन, पूंजी नियंत्रणों, प्रणालीगत जोखिम, मौद्रिक नीति, लोक ऋण प्रबन्धन, संविदाओं, व्यापार एवं बाज़ार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

नयी संहिता से बैंकों के लेनदेन सुरक्षित हो सकते हैं

अब ग्राहक गोपनीय सूचना के अवांछित तत्वों के हाथ लग जाने की चिंता किए बिना इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (SCSBI) के ग्राहकों की प्रतिबद्धता की संशोधित संहिता के अनुसार जनवरी से बैंकों को किसी अनधिकृत लेनदेन के बारे में अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। इसीप्रकार, बैंकों से ग्राहक की सहमति के बिना खाते के कोटि-उन्नयन से विरत रहने हेतु कहा गया है। यद्यपि बैंक मीयादी जमा पर बल नहीं दे सकते, तथापि वे अब भी लॉकर सुविधा के लिए किराये को सुरक्षित करने हेतु मीयादी जमा की मांग कर सकते हैं। बैंकों को यह भी सलाह दी जाएगी कि वे ग्राहकों को उनके घर पर सेवा प्रदान करें। इससे विशेष रूप से विभिन्न रूप से विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। हालांकि, नयी संहिता का ग्राहक की साख गणना पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा ऋण आसूचना कम्पनियों (CICs) को चुकौती से सम्बन्धित आंकड़े भेजे जाने के बारे में एक अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है। ग्राहक बैंक के परिवाद निवारण अधिकारी या उसके बाद बैंक के नोडल अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है। उनके द्वारा ग्राहकों के परिवाद का निवारण न किए जाने पर वह बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता / सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह : 'बैंकों के तुलनपत्रों का कमजोर होना चिंता की बात'

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारतीय प्राधिकारियों को बिगड़ती कारपोरेट वित्तीय स्थिति और बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कमजोर होते तुलनपत्रों पर 'गहन निगरानी' रखने की चेतावनी दी है। भारत के साथ परामर्श के 2014 के आलेख IV के समापन अंश में उक्त निधि का कहना है कि "बैंकों के विवेकसंगत विनियमनों, आस्ति गुणवत्ता वर्गीकरण तथा संकेन्द्रण जोखिमों को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। भारतीय प्राधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे कारपोरेटों की सुभेद्यताओं और बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति के बीच अंतर-सहलग्नताओं पर ध्यान दें। उनके लिए कानूनी एवं दिवालियेपन के ढांचे में सुधार करना भी जरूरी है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 बैंकेतर संस्थाओं को सफेद लेबल वाले एटीएम लगाने की अनुमति दी

भारतीय रिजडर्व बैंक ने चार बैंकेतर संस्थाओं, यथा - टाटा कम्युनिकेशन्स पेमन्ट सॉल्यूशन्स, मुत्थूट फाइनैन्स, प्रिज्म पेमेन्ट सर्विसेज और वाकरंजी लिमिटेड को देश में सफेद लेबल वाले (WLA) एटीएम लगाने हेतु 'प्राधिकरण प्रमाणपत्र' जारी किए हैं।

विनियामकों के कथन

वित्तीय स्थिरता के लिए स्थूल-आर्थिक कारक प्रमुख तत्व होते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती का कहना है कि "वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बनाए रखने के लिए स्थूल-आर्थिक स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय विनियमन चाहे जितने भी परिष्कृत क्यों न हों, वे वास्तविक अर्थव्यवस्था में निहित कमजोरियों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। अतएव, समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को परिरक्षित करने हेतु वित्तीय बुद्धिमत्ता और कमतर मुद्रास्फीति के साथ स्थिर वृद्धि द्वारा विशिष्टीकृत स्थूल-आर्थिक स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय विनियमन को अधिक स्थूल-विवेकपूर्ण अभिमुखीकरण प्रदान किया है तथा उसने वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली पूंजी पर बल दिया है। "

बेहतर भविष्य के लिए मुद्रासफीति का मुकाबला करें

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने यह तर्क देते हुए कि उनकी उच्च ब्याज दर वाली नीति से बेहतर परिणाम सामने आएंगे, मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने जिहाद को जारी रखा है। वृद्धि के समर्थक ऊर्जित पटेल समिति के इस सुझाव की आलोचना करते रहे हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक को उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में उसके इर्दगिर्द 2% की पट्टी के साथ 4% पर स्थिर रखना चाहिए। उनका तर्क यह है कि उच्च ब्याज दरें कीमतों को नियंत्रित नहीं करेंगी, क्योंकि कृषि वस्तुओं की कीमतें मुद्रास्फीति की दर को विस्तीर्ण कर रही हैं। हालांकि, डॉ. राजन का तर्क यह है कि उच्च न्युनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी कमतर कीमतों के विरुद्ध जा रहा होगा, क्योंकि वे निविष्टि की लागतें भी बढ़ा देते हैं। चूंकि चावल और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्त की जाने वाली मूलभूत खाद्य वस्तुएं हैं, उत्पादन उन दोनों के प्रति विकृत हो जाता है, इसप्रकार इसका परिणाम किसानों द्वारा उप-इष्टतम उत्पादन संमिश्र के रूप में सामने आता है।

नीतिगत दरें उपयुक्त रूप से निर्धारित

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने इस बात पर बल दिया है कि भारत की नीतिगत ब्याज दर उपयुक्त रूप से निर्धारित की गई है। सितम्बर, 2013 से डॉ. राजन ने आर्थिक वृद्धि के एक दशक पूर्व वाले निम्न स्तर पर रहने बावजूद इन दरों में कुल 75 आधार अंक की तीन बार वृद्धि की है। उन्होंने कहा है कि "भारतीय रिज़र्व बैंक कमजोर अर्थव्यवस्था को आघात -चिकत्सा देने में विश्वास नहीं करता। वह अर्थव्यवस्था के अनुमानित मुद्रास्फीति के पथ से विचलित होने पर आवश्यक उपाय करने हेतु तैयार रहते हुए अचानक अवस्फीत करने की बजाय कुछ समय के उपरांत वैसा करने को अधिमान देता है। हम जब तक मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं अतिक्रमित न हों तब तक कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करते हैं, किन्तु मुद्रास्फीति में अस्थायी शूलों की अनदेखी कर देंगे। मौद्रिक नीति समिति आंखों पर पट्टीं नहीं बांधेगी तथा वह मुद्रास्फीति की संख्याओं पर ध्यान संकेन्द्रित रखेगी।"

भारत में वित्तीय समावेशन प्राथमिकता होनी चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने एक निवेशक सम्मेलन में कहा है कि "वित्तीय समावेशन बैंकों के समेकन से अधिक महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि "मुझे नहीं लगता कि यह समेकन का समय है। किसी ऐसे समाज में, जहां 50 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते न हों, और उनमें से 90 प्रतिशत लोगों की बैंक ऋण तक पहुंच न हो , आप समेकन के बारे में बात नहीं कर सकते।"

कृषि बीमे पर ध्यान संकेन्द्रण में तेजी लाएं : इर्डा प्रमुख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन के अनुसार बीमा क्षेत्र को कृषि बीमा उत्पादों और उनके वितरण पर अपने ध्यान संकेन्द्रण में वृद्धि करनी चाहिए। कृषि बीमा व्यापक तौर पर सरकार -प्रेरित रह गया है तथा इस खण्ड में विस्तार की अधिक गुंजाइश मौजूद है। दलाल ज्यामितीय और परोक्ष-अनुभूति प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित कृषि, सम्बद्ध गतिविधियों तथा आपदा प्रबन्धन बीमा उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**21 फरवरी, 2014 के दिन**	**21 फरवरी, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 244.9	2 93,,405. 6
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	16, 589.0	2 66, 868. 4
ख) सोना	1, 254, 3	20,075. 7
ग) विशेष आहरण अधिकार	276,9	4, 455.7
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	124.7	2, 005 .8

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

मार्च, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	0.73150	0.427	0.533	0.728	0.948
जीबीपी	0.90938	0.6319.	0.6876	0.7950	0.9737
यूरो	0.42786	0.515	0.616	0.762	0.925
जापानी येन	0.45071	0.235	0.239	0.259	0.293
कनाडाई डालर	1.79350	1.325	1.425	1.552	1.679
ऑस्ट्रेलियाई डालर	3.57500	3.105	3.250	3.455	3.578
स्विस फ्रैंक	0.25600	0.113	0.193	0.314	0.463
डैनिश क्रोन	0.69500	0.7025	0.7950	0.9310	1.1000
न्यूजीलैंड डालर	2.69000	2.880	3.068	3.245	3.380
स्वीडिश क्रोन	1.71750	1.432	1.555	1.674	1.804
सिंगापुर डालर	0.38500	0.445	0.560	0.780	0.895
हांगकांग डालर	0.42000	0.470	0.570	0.730	0.930
एमवाईआर	3.24000	3.250	3.320	3.380	3.460

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा व्यापारियों को नयी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली मिलेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत बैंकों को एकल प्लेटफार्म के माध्यम से मालों / सेवाओं के निर्यात से सम्बन्धित सभी विवरणियां/ विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी- आधारित प्रणाली उपलब्ध होगी। निर्यात डाटा संसाधन एवं निगरानी प्रणाली (EDPMS) बैंकों को निर्यात बकाया विवरण, परक्रामित / वसूली हेतु भेजे गए निर्यात बिल, निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों की वसूली, निर्यात बिलों को बट्टे डाले जाने तथा निर्यात सम्पन्नता में विस्तार जैसी विविध विवरणियां प्रस्तुत करने में समर्थ बनाएगी। वर्तमान में ये विवरणियां भिन्न-भिन्न एकल अनुप्रयोग द्वारा अथवा मैनुअल विधि से प्रस्तुत की जाती हैं।

अर्थव्यवस्था

एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 14 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर 4.7-4.9% किया

राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमान को विनिमय दर में मूल्यह्रास के कारण घटा कर 4.7-4.9% कर दिया है। 2013-14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (तिमाही और वार्षिक मॉडेलों के आधार पर) 4.7-4.9% की वृद्धि दर्शाती है। इसके पूर्व नवम्बर, 2013 में राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) ने 2013-14 के लिए वृद्धि के अनुमान को 5.9% के अपने पूर्ववर्ती अनुमान से घटाकर 4.8-

5.3% कर दिया था। चिंतन दल से जुड़े एक अर्थशास्त्री ने कहा कि चूंकि हमें एक बेहतर बरसात परिलक्षित हुई और मूलभूत तेल की कीमतों में 1% की वृद्धि हुई थी, इसके पूर्व हमने विनिमय दर में वर्षानुवर्ष आधार पर 9.5% के मूल्यह्रास की कल्पना की थी। किन्तु अब हम यह मानते हैं कि विनिमय दर में मूल्यह्रास 11% होगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण कमी आ जाती है।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
श्री यदुवेन्द्र माथुर	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक
श्री डी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
श्री आर.के. टक्कर	कार्यपालक निदेशक, देना बैंक

ग्रामीण बैंकिंग

नाबार्ड गावों में अति लघु मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के निधीयन में सहायता करेगा

बैंकों के मुख्य धारा वाली मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के निधीयन पर ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप नाबार्ड गांवों में सूक्ष्म मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है। नाबार्ड गावों में सूक्ष्म मूलभूत सुविधा परियोजनाएं यथा- बोरवेल, स्वास्थ्य रक्षा, विद्युतीकरण (सौर / जैवगैस / पवन चक्की) विकसित करने, कृषि उपज भंडारित करने हेतु गोदाम तथा कृषि उपकरण - विद्युत हलों, कम्बाइन हार्वेस्टरों, रीपरों आदि का विकास करने में ग्राम पंचायतों की सहायता कर सकता है। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भानवाला के अनुसार सूक्ष्म मूलभूत सुविधा परियोजनाओं की निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक रूपरेखा विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि गांव समृद्ध हो सकें।

नाबार्ड द्वारा गोदाम की मूलभूत सुविधा को बढ़ावा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से उद्भूत होने वाली अतिरिक्त भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा बाज़ार तक अधिकाधिक पहुंच के लिए कृषि वस्तुओं की भण्डारण आवश्यकताओं और नकद सहायता को बढ़ाने के लिए भी नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की मूलभूत सुविधा के सृजन को प्रोत्साहित करता रहा है। नाबार्ड की भण्डारण योजना का शुभारंभ 2013-14 में 5,000 करोड़ रुपये की मूल पूंजी निधि से केन्द्रीय बजटीय घोषणा के परिणामस्वरूप किया गया था। उक्त योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कृषि उपजों का भण्डारण करने हेतु महाभण्डारों, गोदामों, बुखारियों, शीत-भंडारणों और शीत श्रृंखला की मूलभूत सुविधा की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत प्रदत्त निधि से निर्मित महाभण्डार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के भण्डारण, खाद्यान्नों एवं वाणिज्यिक फसलों के भण्डारण और उसके साथ ही किसान बाज़ारों तथा नियंत्रित मूल्य प्रक्रिया निगमों में भण्डारण की मूलभूत सुविधा से सम्बन्धित हैं। नाबार्ड झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों में भण्डारण की मूलभुत सुविधाएं बढ़ाना चाहता है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय रिज़र्व बैंक	दि सेन्ट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका	"पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान" के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन (MOU)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	बहरीन डेवलपमेंट बैंक	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बहरीन में उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायता करना।
केनरा बैंक	नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लि. (NCML)	संपार्श्विकों के प्रबन्धन और महाभण्डारण सेवाओं के लिए। उक्त भागीदारी का मुख्य उद्देश्य उद्योगों, व्यापारियों एवं किसानों की कटाई-पूर्व से लेकर विपणन एवं निर्यात के स्तरों तक की आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर उनकी पूंजी आवश्यकताओं के वत्तीयन में सहायता करना है।
भारतीय महिला बैंक (BMB)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेन्ट सर्विसेज प्रा.लि.	भारतीय महिला बैंक के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हेतु।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमश:)

अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अप्रतिभूत अंश के सम्बन्ध में जोखिम-भार निम्नानुसार होंगे :

क्रम सं.	श्रेणी	जोखिम-भार (%)
01	उद्यम पूंजी	150 या उससे अधिक
02	वैयक्तिक ऋणों, क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों सहित किन्तु शैक्षणिक ऋणों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण	125
03	पूंजी बाज़ार के प्रति ऋण जोखिम (एक्सपोजर)	125
04	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के पूंजीगत लिखतों में निवेश	125

05	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा इक्विटी लिखतों मे ऋण जोखिम (एक्सपोजर)	250
05	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था/कम्पनी (सहायक कम्पनियों को छोड़कर) की चुकता इक्विटी में निवेश, जहां निवेश निवेशी कम्पनी की इक्विटी के 10% से कम हो 10% से अधिक	125 1111
06	अधिवर्षिता लाभों और/अथवा फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूर्णत: समर्थित कर्मचारी ऋण	20
07	खुदरा संविभाग में समावेश के पात्र कर्मचारियों को अन्य ऋण एवं अग्रिम	75
08	अन्य सभी आस्तियां	100
09	तुलनपत्र-बाह्य मदें (बाज़ार से सम्बन्धित और बाज़ार से असम्बद्ध मदें)	भा.रि. बैंक के परिपत्र में यथा-वर्णित
10	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	परिपत्र के अनुसार बाहरी साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा श्रेणी निर्धारण के आधार पर
11	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (बंधक-समर्थित जमानत समर्थित)	ृवही

बाहरी ऋण मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसी विविध साख एजेन्सियों की पहचान कर रखी है जिनके श्रेणी निर्धारण का उपयोग बैंकों द्वारा संशोधित ढांचे के तहत पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों हेतु जोखिम-भार लागू करने के उद्देश्यों से निम्नानुसार किया जा सकता है :

क) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. (ब्रिकवर्क)

ख) क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि.

ग) क्रिसिल लि.

घ) इक्रा (ICRA) लि.

ङ) इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्रा. लि. (इंडिया रेटिंग्स)

च) एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ इंडिया लि. (SMERA)

अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियां

क. फिच

ख. मूडीज; और
ग. स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स
बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम-भार लागू करने और जोखिम प्रबन्धन, दोनों ही उद्देश्यों के लिए चयनित साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों और उनके श्रेणी निर्धारणों का प्रत्येक प्रकार के दावे के लिए संगत रूप से उपयोग करें।

संशोधित ढांचे में मानकीकृत जोखिम-भार लागू करने वाले ढांचे के तहत उपलब्ध जोखिम-भारों के लिए पात्र श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा जारी श्रेणी निर्धारण आबंटित करने हेतु एक मैपिंग प्रक्रिया विकसित करने की सिफारिश की गई है। इस ढांचे के अधीन श्रेणी निर्धारणों की मैपिंग मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लागू होने वाले उपयुक्त जोखिम-भारों के लिए की गई है। दीर्घावधि और अल्पावधिक श्रेणी निर्धारणों के लिए जोखिम - भार की मैपिंग का विस्तृत विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01/07/2013 वाले परिपत्र में दिया गया है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

पुनर्संरचना

पुनर्संरचित खाता वह होता है जिसमें बैंक उधारकर्ता को ऐसी रियायतें मंजूर करता है जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा। पुनर्संरचना सामान्यतया अग्रिमों / प्रतिभूतियों में ऐसे आशोधन से सम्बन्धित होती है, जिसमें सामान्यत: अन्य बातों के साथ-साथ चुकौती अवधि /चुकौती की रकम / किस्तों की रकम तथा ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होते हैं। यह किसी ऐसी अन्यथा व्यवहार्य इकाई को पोषित करने की एक व्यवस्था होती है, जिसकी वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गई हो।

शब्दावली

साख आसूचना कम्पनी

कोई साख आसूचना कम्पनी किसी व्यक्ति के ऋणों और क्रेडिट कार्डों से सम्बन्धित भुगतानों के रिकार्ड एकत्रित एवं अनुरक्षित करती है। साख आसूचना कम्पनी को ये रिकार्ड बैंकों एवं अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद इस सूचना का उपयोग साख सूचना रिपोर्टें (साख रिपोर्ट) सृजित करने हेतु किया जाता है, जो ऋण आवेदनों अथवा किसी अन्य ऋण आवेदन को मूल्यांकित करने तथा अनुमोदित करने में सहायता के लिए ऋण संस्थाओं को प्रदान की जाती है। ऋण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा आवश्यकता महसूस किए जाने पर साख

आसूचना कम्पनी साख गणना भी प्रदान करेगी, जो उधारकर्ता की साख रिपोर्ट की3 अंकों वाला संख्यात्मक सारांश होता है। साख आसूचना कम्पनियों को सामान्यतया "ऋण ब्यूरो" भी कहा जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन कार्यक्रम	3 से 7 मार्च, 2014 दिल्ली एवं चेन्नै में
2	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन कार्यक्रम	10 से 14 मार्च, 2014 मुंबई में
3	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 से 7 मार्च, 2014 एनआईबीएम, पुणे में

फरवरी, 2014 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
	भारतीय महिला बैंक की नव-नियुक्त अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	4 से 15 फरवरी, 2014
2	बैंकों, बैंकिंग संस्थाओं एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	10 से 15 फरवरी, 2014
3	डीएसबी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	20 से 22 फरवरी, 2014
4	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन कार्यक्रम	24 से 28 फरवरी, 2014 (मुंबई)

संस्थान समाचार

विनियामक मार्गदर्शन की अंतिम तिथि

अभ्यर्थीगण कृपया इसे ध्यान में रखें कि किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/कों द्वारा उस वर्ष की क्रमश:31 जुलाई और 31 दिसम्बर तक जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों पर ही विचार किया जाएगा।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिफ

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दी गई है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

108.00
103.00

98.00
93.00
88.00
83.00
78.00
73.00
68.00
63.00
58.00

03/02/14 05/02/14 10/02/14 11/02/14 12/02/14 17/02/14 20/02/14 24/02/14 25/02/14 28/02/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- माह के पहले 13 दिनों के दौरान रुपया 62.11 और 62.58 के बीच घटता-बढ़ता रहा।
- 17वीं को बजट वाले दिन रुपया प्रति डालर 61.86 पर बंद हुआ।
- आयातकों से अमरीकी मुद्रा की विलंबित मांग तथा स्थानीय इक्विटियों में कमजोरियों का पता लगने पर 20वीं को रुपया एक पैसा नरम पड़ कर डालर के समक्ष 62.23 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान 0.98% की मूल्यवृद्धि दर्ज करते हुए अंतिम दिन को रुपया अंतत: प्रति डालर 62.072 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान जीबीपी और यूरो के समक्ष रुपया क्रमश: 0.63% और 0.53% के रूप में मामूली तौर पर मूल्यह्रासित हुआ।
- हालांकि, फरवरी, 2014 के दौरान जापानी येन के समक्ष रुपये में 0.68% की मामूली मूल्यवृद्धि दिखाई पड़ी।

भारित औसत मांग दरें

9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00

03/02/14 05/02/14 08/02/14 10/02/14 12/02/14 13/02/14 15/02/14 17/02/14 20/02/14 22/02/14 28/02/14

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

- मांग दरें 7.41% के न्यून स्तर और 9 प्रतिशत उच्च स्तर के बीच मंडराती रहीं।
- माह के मध्य में चलनिधि की स्थिति अत्यधिक कठिन रही।
- मांग मुद्रा बाज़ार में बीच वाले दौरों में सहज स्थितियों के साथ पूरे माह में मुद्रा की कठिन स्थिति प्रदर्शित हुई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

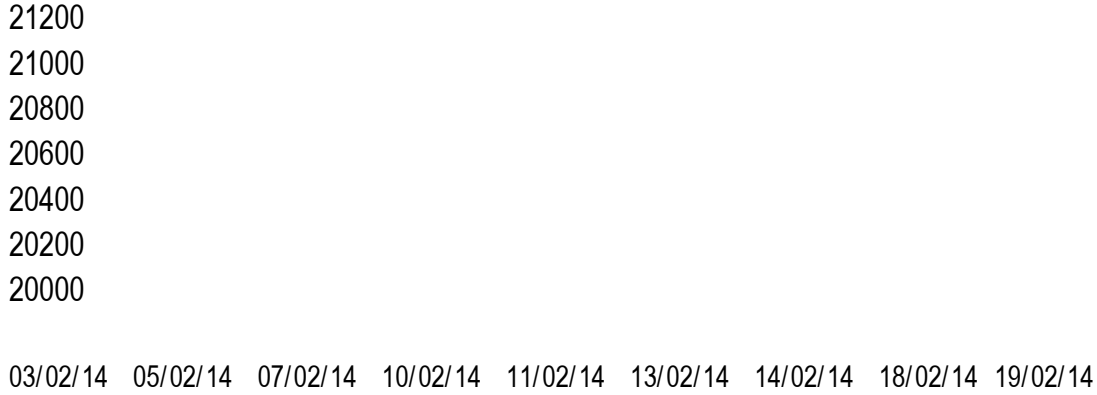

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2014